भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

24.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 296 का उत्तर

अमृत भारत स्टेशन योजना

296. डॉ. के. सुधाकर:
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कर्नाटक सहित देश में अमृत भारत स्टेशन नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के तहत स्टेशनों का चयन किस आधार पर किया गया है;

(ख) इस योजना के तहत देश, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में विकास के लिए चिह्नित रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की अमृत भारत योजना के तहत डोड्डाबल्लापुर और चन्नासंद्रा स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड के समक्ष चिक्काबल्लापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों के संबंध में कोई प्रस्ताव लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कर्नाटक राज्य के लिए किसी नई लाइन पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या चिक्काबल्लापुर संसदीय क्षेत्र में नई रेलवे लाइनों/मौजूदा लाइनों के विस्तार संबंधी कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

अमृत भारत स्टेशन योजना के संबंध में दिनांक 24.07.2024 को लोक सभा में डॉ. के. सुधाकर और श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी के अतारांकित प्रश्न सं. 296 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): भारतीय रेल में स्टेशनों के विकास के लिए हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है।

इस योजना में प्रत्येक स्टेशन पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों पर स्टेशनों तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालयों, शौचालयों, आवश्यकता अनुसार लिफ्टों/स्वचालित सीढ़ियों, स्वच्छता, निःशुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणालियों, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यापारिक बैठकों के लिए नामांकित स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और चरणों में उसका क्रियान्वयन शामिल है।

इस योजना में स्टेशन इमारत में सुधार, शहर के दोनों छोर के साथ स्टेशन को जोड़ने, मल्टीमॉडल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, स्थायी और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित रेल पथ का प्रावधान, आवश्यकता, चरणबद्ध योजना और व्यवहार्यता के अनुसार लंबी अवधि में स्टेशन पर सिटी सेंटरों के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

अभी तक, इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय रेलों, प्रमुख शहरों और नगरों में स्थित स्टेशनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 1324 स्टेशनों का चयन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 1324 स्टेशनों में से आंध्र प्रदेश राज्य में 73 स्टेशन और कर्नाटक राज्य के दोड़बल्लापुर और

चन्नसंद्रा स्टेशनों सहित 59 स्टेशनों को विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। दोड़बल्लापुर स्टेशन की निविदाएं प्रदान की जा चुकी हैं तथा प्लेटफॉर्म शेल्टर, ऊपरि पैदल पुल और अन्य भवन निर्माण संबंधी कार्य शुरू हो चुके हैं। चन्नसंद्रा में नवीन स्टेशन भवन के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।

बहरहाल, रेलवे स्टेशनों का विकास/पुर्नविकास/उन्नयन जटिल स्वरूप का होता है जिसमें रेलगाड़ियों और यात्रियों की संरक्षा शामिल होती है और दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति कार्य ब्राउनफील्ड संबंधी चुनौतियों जैसे अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं); यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन; उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत: इस समय कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

(घ) से (च): रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेल, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर देश भर में रेल परियोजनाओं/कार्यों के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त किए जाते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/ अभ्यावेदन का प्राप्त होना सतत और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का

केन्द्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

चालू परियोजनाओं के थ्रोफारवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता के अध्यधीन रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, रेलवे की अपनी परिचालनिक और वाणिज्यिक आवश्यकता, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, भू-भाग, अपरिहार्य मुद्दों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि पर शुरु किया जाता है जो सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 47,016 करोड़ की लागत पर कुल 3,840 किलोमीटर लंबाई की 31 रेल परियोजनाएं (21 नई लाइन और 10 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं।

- 33,125 करोड़ रू की लागत वाली कुल 2,556 किलोमीटर लंबाई की 21 नई लाइन परियोजनाओं, में से 395 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है।

- 13,891 करोड़ रू की लागत वाली कुल 1,284 किलोमीटर लंबाई की 10 दोहरीकरण परियोजनाओं, में से 907 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया जा चुका है।

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 2021-2022, 2022-2023, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25) में, कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली कुल 5,713 किलोमीटर लंबाई के कुल 53 सर्वेक्षणों (18 नई लाइन और

35 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है और सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ चिकबल्लापुर-गौरीबिडनर नई लाइन सर्वेक्षण शामिल है।

*****